जनपद शामली पुलिस

--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति **दिनांक 18.08.2024**

थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत मौहल्ला काजीवाडा में दो पक्षों द्वारा एक दूसरे पर जान से मारने की नियत से किये गये पथराव व घातक हथियार से फायरिंग करने के मामले में अभियुक्त व अभियुक्ता गिरफ्तारः-

आज दिनांक 18.08.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे वांछित/वारण्टी की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल नेतृत्व में थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत मौहल्ला काजीवाडा में दो पक्षों द्वारा एक दूसरे पर जान से मारने की नियत से किये गये पथराव व घातक हथियार से फायरिंग करने के मामले में अभियुक्त व अभियुक्ता को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली शामली पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। घटना में लिप्त अभियुक्त नवाब व सद्दाम को दिनाँक 17.08.2024 को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है।

ज्ञात हो कि दिनांक 16.08.2024 को थाना कोतवाली शामली क्षेत्रान्तर्गत मौहल्ला काजीवाडा में दो पक्षो में घातक हथियार से हुई फायरिंग व ईट-पत्थर से मारपीट की घटना के सम्बन्ध में थाना कोतवाली शामली पर सुंसगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। उपरोक्त घटना की गम्भीरता के दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक शामली के द्वारा थाना कोतवाली शामली पुलिस को सतर्क दृष्टि रखने एवं नामित अभियुक्तों की यथाशीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त/अभियुक्ताः-

1.मोहसीन पुत्र मुरादी निवासी मौहल्ला काजीवाडा थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

2.श्रीमति नसीमा पत्नी नवाब निवासी मौहल्ला काजीवाडा थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

थाना थानाभवन पुलिस द्वारा प्रतिबन्धित पशु के कटान का प्रयास करने की घटना में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से कटान करने के उपकरण बरामद।

ज्ञात हो कि दिनांक 17.08.2024 को ड़ायल 112 पर थाना थानाभवन क्षेत्रान्तर्गत काली नदी स्थित घाट पर 02 व्यक्तियों द्वारा प्रतिबन्धित पशु को गौकशी करने हेतु बांधे जाने के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना पर तत्काल थाना थानाभवन पुलिस द्वारा मौके पर पहुँचकर प्रतिबन्धित पशु को बचाया गया था तथा घटना में लिप्त 02 अभियुक्तों के विरुद्ध थाना थानाभवन पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। घटना में लिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा प्रभारी निरीक्षक थाना थानाभवन को निर्देशित किया गया था।

इसी क्रम में आज दिनांक 18.08.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम के आदेशानुसार चलाए जा रहे प्रतिबंधित पशुओं की तस्करी एवं गौकशी की घटनाओं के रोकथाम हेतु अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी थानाभवन के कुशल पर्यवेक्षण में थाना थानाभवन पुलिस द्वारा गोकशी का प्रयास करने की घटना में वांछित 02 अभियुक्तों को कटान करने के उपकरण सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना थानाभवन पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगणः-

1.राशिद पुत्र रोजुदीन निवासी मौहल्ला शाहगाजीपुरा कस्बा जलालाबाद थाना थानाभवन जनपद शामली।

2.आमिर पुत्र रईस निवासी मौहल्ला शाहगाजीपुरा कस्बा जलालाबाद थाना थानाभवन जनपद शामली।

बरामदगी का विवरण-

1.कटान करने के उपकरण (01 कुल्हाड़ी, 01 छुरा, 01 रस्सी आदि) ।

थाना थानाभवन पुलिस द्वारा जानलेवा हमला करने के मामले में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तारः-

ज्ञात हो कि दिनांक 17.08.2024 को वादी मंजूर पुत्र बदलू निवासी मौहल्ला कस्सावान थाना थानाभवन जनपद शामली के पुत्र मोहसीन को अभियुक्त द्वारा जानलेवा हमला कर गम्भीर रुप से घायल कर देने के सम्बन्ध में थाना थानाभवन पर लिखित तहरीर दाखिल की थी। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना थानाभवन पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया था। थाना थानाभवन पुलिस द्वारा घटना में लिप्त अभियुक्त की तलाश की जा रही थी।

इसी क्रम में दिनांक 17.08.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे अपराध की रोकथाम एवं अपराध में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी थानाभवन के निकट पर्यवेक्षण में थाना थानाभवन पुलिस द्वारा जानलेवा हमला करने के मामले में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना थानाभवन पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.मौहम्मद उवेश पुत्र युनुस कसाई निवासी मौहल्ला कस्सावान थाना थानाभवन जनपद शामली।

थाना कैराना पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत मौहल्ला छडियान में हुयी हत्या के मामले में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

ज्ञात हो कि दिनांक 06.07.2024 को वादी सावेज पुत्र युनुस निवासी मौहल्ला छडियान थाना कैराना जनपद शामली ने सूचना अंकित करायी कि उसका भाई मृतक कालू उर्फ शाहिद मौहल्ला छडियान स्थित नाज टेलर की दुकान पर अपने कपडे लेने गया था जहां अभियुक्तगण इमरान व हारुन पुत्रगण अय्यूब निवासी मौहल्ला कायस्थवाडा कस्बा व थाना कैराना ने कैंची से जानलेवा हमला कर उसकी हत्या कर दी है। वादी द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर थाना कैराना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। मृतक के शव का पंचायतनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया था। पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा अभियुक्तगण की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया था।

इसी क्रम में आज दिनांक 18.08.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाये जा रहे अपराध की रोकथाम एवं अपराध में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना कैराना पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत मौहल्ला छडियान में कपडे सिलवाने को लेकर कैंची द्वारा जानलेवा हमला कर हत्या करने के मामले में वांछित अभियुक्त को मय आलाकत्ल (कैंची) के साथ गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कैराना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। घटना में लिप्त अभियुक्त इमरान को दिनाँक 07.07.2024 को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.हारुन पुत्र मौहम्मद अय्यूब निवासी मौहल्ला कायस्थवाड़ा थाना कैराना जनपद शामली।

जनपद पुलिस द्वारा वारण्टी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 15 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तारः-

आज दिनांक 18.08.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम के आदेशानुसार चलाए जा रहे वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में जनपदीय पुलिस द्वारा वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 15 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। अभियुक्तगण की गिरफ्तारी के संबंध में सम्बन्धित थानो पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगणः-

1.विजेन्द्र पुत्र सुक्कन निवासी ग्राम मनट थाना थानाभवन जनपद शामली।
2.साजिद पुत्र फैय्याज निवासी मौहल्ला कस्सावान थाना थानाभवन जनपद शामली।
3.संजीव पुत्र मुन्ना निवासी ग्राम हरड फतेहपुर थाना थानाभवन जनपद शामली।
4.कल्वा पुत्र ज्योति निवासी ग्राम दखोडी जमालपुर थाना थानाभवन जनपद शामली।
5.राजीव पुत्र सूरजपाल निवासी ग्राम हरड फतेहपुर थाना थानाभवन जनपद शामली।
6.गौरव पुत्र पुष्पेन्द्र निवासी ग्राम हरड फतेहपुर थाना थानाभवन जनपद शामली।
7.धर्मवीर पुत्र ज्ञान सिंह निवासी ग्राम बुटराडा थाना बाबरी जनपद शामली।
8.मेहरबान पुत्र जफरा निवासी ग्राम बन्तीखेडा थाना बाबरी जनपद शामली।
9.मैनूदीन उर्फ पप्पू पुत्र गबरू निवासी ग्राम बन्तीखेडा थाना बाबरी जनपद शामली।
10.इब्राहिम पुत्र अजमल निवासी मौहल्ला किदवई नगर थाना कोतवाली नगर जनपद मुजफ्फरनगर।
11.शेरखान उर्फ सोनू पुत्र जुल्फकार निवासी मौहल्ला कश्यपपुरी थाना गढ़ीपुख्ता जनपद शामली।
12.विपिन पुत्र धर्मपाल निवासी ग्राम युनुसपुर थाना गढ़ीपुख्ता जनपद शामली।
13.जितेन्द्र उर्फ जिन्द पुत्र गुलबा निवासी ग्राम युनुसपुर थाना गढ़ीपुख्ता जनपद शामली।
14.अरविन्द पुत्र सुधवीर निवासी ग्राम सिम्भालका थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।
15.अली मौहम्मद पुत्र अलीशेर निवासी ग्राम भनेड़ा थाना कांधला जनपद शामली।

<u>पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम द्वारा पुलिस लाइन स्थित सभागार कक्ष में अपराध गोष्ठी कर कानून व्यवस्था की समीक्षा की गई।</u>

आज दिनांक 18.08.2024 को पुलिस लाइन सभागार में सैनिक सम्मेलन व मासिक अपराध गोष्ठी में पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम द्वारा गोष्ठी कर कानून-व्यवस्था की समीक्षा की गयी। गोष्ठी में पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा कानून व्यवस्था, अपराध की रोकथाम व अनावरण हेतु शेष अभियोगो की समीक्षा, उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी भर्ती को सकुशल सम्पन्न कराये जाने, जनसुनवाई, नवीन कानून का सुचारु रुप से पालन व शासन द्वारा निर्गत आदेशो निर्देशो का शत प्रतिशत अनुपालन किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। गोष्ठी में अपर पुलिस अधीक्षक शामली, समस्त क्षेत्राधिकारी गण तथा समस्त थाना प्रभारी व समस्त शाखा प्रभारी शामिल हुए गोष्ठी में भा0द0वि0/बीएनएस0 के अपराध, महिला उत्पीड़न, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधी अपराध व निरोधात्मक कार्यवाही की मासिक समीक्षा व प्रगतिशील सूचना के संबंध में दिशा निर्देश दिये गये।

महोदय द्वारा आगामी रक्षाबन्धन/श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के त्यौहारों को सकुशल सम्पन्न कराने हेतु विधिवत ब्रीफ कर पर्याप्त पुलिस बल की ड्यूटी लगायी जाये। उक्त त्यौहारों के दृष्टिगत जनपद में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों को सकुशल सम्पन्न कराने हेतु सूचीबद्ध कर सुरक्षा/यातायात व्यवस्था हेतु प्रभावी व्यवस्थापन किया जाये एवं समस्त कार्यक्रम स्थलों पर विशेष सुरक्षा प्रबन्ध किये जाने के निर्देश दिये गये।

पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा गोष्ठी में मिशन शक्ति अभियान को सफल बनाने हेतु महिलाओं/ बालिकाओं को जागरूक करने, साइबर अपराधों की रोकथाम हेतु अभियान चलाकर आम-जनमानस को जागरूक करने, लम्बित शिकायती प्रार्थना पत्रों तथा अपहृताओं की शीघ्र बरामदगी करने के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया।

महोदय द्वारा सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया कि थाने पर आने वाले आगन्तुकों/ फरियादियों/ जनप्रतिनिधियों के साथ विनम्र व शालीन व्यवहार करें, जिससे कि आम जनता बिना किसी भय के अपनी शिकायतों के निस्तारण हेतु थानों पर आ सके। फरियादियों की शालीनतापूर्वक समस्याओं को सुनकर तत्काल निष्पक्ष आवश्यक कानूनी कार्यवाही करते हुए समयबद्ध व गुणवत्तापूर्वक निस्तारण कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

<u>SOCIAL MEDIA CELL SHAMLI</u>